कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक./शि.स्था.2/691–III/2023/7336 भोपाल, दिनांक 30/3/23

//आदेश//

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम) 2018 के नियम 5(4)(क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञापन 29.09.2022 को जारी किया गया, जारी विज्ञापन एवं निर्देशिका के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग अंतर्गत निम्नानुसार अभ्यर्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर **हिन्दी विषय** में उनके नाम के समक्ष अंकित संस्था में नियुक्त किया जाता है–

2/

Sr	NAME	FATHER'S NAME	ADDRESS	ROLL NO	RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	DHARMENDRA KUMAR KHOSE	HARIRAM KHOSE	34 BHAVANI WARD BETUL BAZAR BETUL BET MADHYA PRADESH 460004	74543643	1375	OBC	OBC/X/OP	HSS GIRLS BHIMPUR	BETUL
2	PRADIP KUMAR SHRIVASTAVA	NARENDRA KUMAR SHRIVASTAVA	134 KIRANTAL POST MAHROI BANDAVGARH UMR MADHYA PRADESH 484661	74600808	1487	EWS	EWS/X/OP	GOVT. HSS KHICHKIDI	UMARIA
3	DEVENDRA KUMAR TIWARI	ARUN KUMAR TIWARI	VILLAGE NAYAKHEDA POST BHAINSA PALA DIST NARSINGHPUR NARSINGHPUR NSP MADHYA PRADESH 487001	74622537	1524	EWS	EWS/X/OP	GOVT.HSS SEMRI KHURD	HOSHAN GABAD
4	NIRANJAN SINGH CHOUHAN	SUMER SINGH CHOUHAN	0000 GRAM PARWARIYA POST KUMBHRAJ KUMBHRAJ GUN MADHYA PRADESH 473222	74451851	1565	EWS	EWS/X/OP	HSS LOHARI	DHAR
5	PANKAJ GARG	JAGDISH PRASAD GARG	IN FRONT OF ALPHA H S SCHOOL SHIV NAGAR COLONY RAILWAY CROSSING BY PASS SHEOPUR SPK MADHYA PRADESH 476337	74582325	1621	EWS	EWS/X/OP	GOVT. HSS GIRDHARPUR	SHEOPUR
6	SANTOSH KUMAR DALE	SURESH CHANDRA	00 VILL SOYAT SOYAT NASRULLAGANJ SEH MADHYA PRADESH 466446	74526185	1652	EWS	EWS/X/OP	EXL.HSS ATHNER	BETUL
7	SANTOSH KUMAR PATERIYA	KADHORI LAL PATERIYA	BAGASPUR VYAM SALA MOHALLA GOTEGOAN GOTEGOAN NSP MADHYA PRADESH 487118	74480250	1997	EWS	GF/EWS/X/OP	HSS CHANDRANI	DINDORI

Sr	NAME	FATHER'S NAME	ADDRESS	ROLL NO	RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
88	ANURADHA RAJE	RAGHVENDRA SINGH PARMAR	WARD NO 18 SAGARWARA SAGARWARA LIDHORA TKG MADHYA PRADESH 472221	74614484	11741	EWS	EWS/HH/F	HSS DHOLIYAWAD	JHABUA
89	AMIT SHARMA	GANESHRAM SHARMA	152 BILGAON CHAUDHARI JOURA JOURA MOR MADHYA PRADESH 476221	74531683	12548	EWS	EWS/HH/OP	GOVT. HSS BARGAVAN	SHEOPUR
90	PRITAM SINGH PARASTE	NARAYAN SINGH PARASTE	VILLAGE MOHANJHIR POST SILAHRI DND MADHYA PRADESH 481879	74527342	17973	ST	ST/X/OP	GOVT.HSS BATONDHA	DINDORI
91	UMESH KUMAR DHURWAY	JHAM SINGH	WOARD NO 03 AT TILAI POST INDRI TAH NAINPUR MDL MADHYA PRADESH 481768	74495252	18935	ST	ST/X/OP	GOVT. HSS TATRI	MANDLA
92	MINI TUMRALI	TEJ LAL TUMRALI	WARD NO 04 GHUTAS ROAD SCHOOL TOIA SINGHORI MDL MADHYA PRADESH 481995	74486381	18963	ST	ST/X/F	GOVT. HSS SIJHORA	MANDLA
93	SURESH SAITE	JAIRAM SAITE	GRAM POST KHAJURI TEHSIL RAJPUR DIST BARWANI BDW MADHYA PRADESH 451449	74525654	19065	ST	ST/X/OP	HSS MENIMATA	BARWANI
94	LULSINGH SENANI	SILDAR SENANI	SAKRALI KHURD SAKRALI KHURD POST MOYDA PANSEMAL BDW MADHYA PRADESH 451770	74649282	19178	ST	ST/X/OP	HSS RAKHI BUJURG	BARWANI
95	BABU SINGH SINGAR	ANSINGH SINGAR	GRAM BHIMKUND POST UMARKOT TEHSIL JHABUA JHB MADHYA PRADESH 457775	74651508	19241	ST	ST/X/OP	GOVT. HSS ANTARVELIYA JHABUA	JHABUA
96	CHANDRAPRABHA	NOKHELAL	01 VILLAGE TUA GHOGHRA POST KHAMARIYA BAZAR TEHSIL DHANORA SEO MADHYA PRADESH 480997	74656037	19432	ST	ST/X/F	GOVT. HSS INDRI	MANDLA
97	KALA CHOUHAN	BHAVSINGH CHOUHAN	VILLAGE MOGRA POST GIRWANIYA TEHSIL KUKSHI KUKSHI DHR MADHYA PRADESH 454331	74458932	20561	ST	ST/X/F	GOVT. H.S.S. KUNDALWASA	ALIRAJPUR
98	ARUNA KALM	ARJUN SINGH KALM	GRAM MANDLA TEH HARSUD KHANDWA KHANDWA KHD MADHYA PRADESH 450001	74506818	21322	ST	ST/X/F	GOVT. HSS ROSHANI	KHANDWA

Sr	NAME	FATHER'S NAME	ADDRESS	ROLL NO	RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
99	MANSBATI MARSKOLE	CHUTTU	08 CHORADONGRI NAGRI TAMIA CHD MADHYA PRADESH 480559	74523795	21453	ST	ST/X/F	GOVT. HSS NAGRI	CHHINDWARA
100	SUNITA CHOUHAN	BHAV SINGH CHOUHAN	0 GRAM AMBUA POST AMBUA HANUMAN ASHRAM CHOURAHA JOBAT ALR MADHYA PRADESH 457990	74514198	21523	ST	ST/X/F	GOVT. HSS KANJAWANI RANAPUR	JHABUA

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 9300–34800 + 3600 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–9 में तत्स्थानी वेतनमान 36200–1148200 के न्यूनतम वेतन रुपये 36200/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3– 13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम) 2018 एवं संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 वर्ष राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी । परिवीक्षा अवधि (03 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतनमान दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा । स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस, ई–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें, ऐसा करने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिलें के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:–

I. नियुक्ति आदेश

II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस

III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातिका स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S.का नवीनतम प्रमाण पत्र)

IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतमआय प्रमाण पत्र के साथसंलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र**(परिशिष्ट–1)**

V. मूल निवासी प्रमाण पत्र

VI. स्थायीनिःशक्तता / दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायीदिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।

VII. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)

VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति

IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र

X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड

XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड **(परिशिष्ट–2A एवं 2B)**

XII. चरित्र सत्यापन के संबंध मे सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमाक एफ–सी–3 / 15 / 2012 / 1 / तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट–एक)

7 / उक्त दस्तावेजों का जिला अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8 / यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों की राशि जमा करनी होगी।

9 / परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10 / परिवीक्षा अवधि के संबंध में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।

11 / अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा ।

12 / आवासीय विधालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है, उन विधालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी ।

विशेष टीपः–1. माननीय उच्च न्यायालय में शाला विकल्प चयन के संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के आधार पर संबंधितों के इस आदेश से जारी पदस्थापना विभाग एवं शाला में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. **यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।**

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक./शि.स्था.2/691—III/2023/ 7337 **भोपाल, दिनांक** 30/3/23

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय उपायुक्त , जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास ।
8. समस्त सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य/समस्त जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर मुख्यालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
9. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र।
10. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला अधिकारी (म.प्र.) को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवसों के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश